

कार्यालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला

क्रमांक : स्था./2024/12

दिनांक : 17.01.2024

-: कार्यालय आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या. जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)151/22/64 Dated 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ-15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

| S. No. | Name of Candidate | Date of Birth | Merit No. | Roll No. | Gender | Original Category | Allotted Category |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | DEEPIKA CHOUHAN | 27-02-2001 | 12 | 24936 | Female | OBC | GEN |
| 2 | NITESH KIRADOO | 17-09-2000 | 25 | 33544 | Male | GEN | GEN |
| 3 | SHARMISHTHA KACHCHAWAH | 28-01-2001 | 29 | 39784 | Female | OBC | GEN |
| 4 | GOVIND SHANKER KIRADOO | 19-01-1996 | 34 | 44140 | Male | GEN | GEN |
| 5 | JITENDRA KUMAR | 05-03-2003 | 39 | 27799 | Male | OBC | GEN |
| 6 | MEENAKSHI VYAS | 22-11-2000 | 166 | 31360 | Female | EWS | EWS |
| 7 | SHASHI KANT AWASTHI (English Steno) | 13-09-1994 | 2 | 17123 | Male | GEN | GEN |

1. सभी नियुक्तियां आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय/द्वितीय की संयुक्त परीक्षा, 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गयी है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

YF 17.01.2024

9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जोधपुर जिला
०६/११/२०२४

क्रमांक:- स्था./2024/197-204

दिनांक:- 12/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी (लेखानुभाग) जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला।
2. दीपिका चौहान पुत्री श्री देवेन्द्र चौहान, निवासी-ए/164, बोम्बे योजना हाऊसिंग बोर्ड, चोखा मार्ग, जोधपुर।
3. नितेश किराडू पुत्र श्री अनन्त किशोर किराडू, निवासी- किराडुओं की गली, रघुनाथसर मन्दिर के पास, बीकानेर।
4. शर्मिष्ठा कच्छावाह पुत्री श्री कमलपाल कच्छावाह निवासी-प्लॉट नंबर 147, 148 कीर्ति नगर सी, मगरा पूंजला रोड़, जोधपुर।
5. गोविन्द शंकर किराडू पुत्र श्री अनन्त किशोर किराडू, निवासी-रघुनाथसर कुआं, किराडुओं की गली, बीकानेर।
6. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी-मोरिया मुंजासर, जोधपुर।
7. मीनाक्षी व्यास पुत्र श्री गिरीश कुमार व्यास निवासी-उस्ता बारी के अंदर, बिजली घर के पास वाली गली, बीकानेर।
8. शशिकान्त अवस्थी पुत्र श्री दिलीप अवस्थी, निवासी सी-88, सुखनिवास कॉलोनी, अमरेली, गुजरात।
9. संबंधित पत्रावली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जोधपुर जिला
०६/११/२०२४